

1000

Principal
Gujja Devi College of Pharmacy
Satna-Mohammadiab
Distt:Katni

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या:- प्राविश/परिषद सम्प्रदाता/2021/3537

संलग्नक: दिनांक 09/08/2021

कार्यालय द्वारा:

अखिल भारतीय स्तरों की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्गिली काउन्सिल ऑफ़ ट्रेनिंग, नई दिल्ली द्वारा वैश्व मंत्र 2021-22 हेतु टिप्पणी सतीय स्तरों की शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तुरंत प्राविश शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्प्रदाता-सम्प्रदाता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्प्रदाता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में समिति द्वारा मंत्र 2021-22 हेतु अप्रैटिड नई संस्थाओं को सम्प्रदाता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्प्रदाता विस्तार परावर्तन प्रवेश क्षमता बढ़ि सहित अन्य मंत्री पर विचार कर्तरी दूर मंत्र 2021-22 हेतु सम्प्रदाता-सम्प्रदाता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्प्रदाता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में मंत्र संस्था को प्राविश शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन परावर्तन एवं तुरन्त अखिल प्राविश क्षमता हेतु सम्प्रदाता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3389-GIRJA DEVI COLLEGE OF PHARMACY SAKHAI
MOHAMMADABAD FARRUKHABAD-207151

क्रमसं०	परावर्तन का नाम	एडमिनिस्ट्रेशन/पीसीआईए द्वारा मंत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा मंत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्प्रदाता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिनिस्ट्रेशन/पीसीआईए द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविश शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविश शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अप्रैटिडों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग परावर्तनों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कॉमर्सी परावर्तन हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय परावर्तनों हेतु रु० 23100.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उद्योगों के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के संबंध में समय-समय पर वाचन द्वारा निर्मित किये जाने वाले वाचनपत्रों प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फ्रीड निर्माण समिति द्वारा यदि मंत्र 2021-22 हेतु फ्रीड का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो फ्रीड की नवीनता दो तर्क होंगी।
- ✓ संस्था को (उपरा) प्राविश शिक्षा समिति एवं उच्च समिति, संस्थाओं को सम्प्रदाता विस्तार विस्तार विनियमवली-2000 की शर्तों पर अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अप्रैटिड छात्रों की ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के लिए रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित वाचनपत्रों के अनुसार निर्माण एवं सम्प्रदाता शुल्क प्राप्त करना होगा।

Principal
Girja Devi College of Pharmacy
Sakhal-Mohammadia-207151
Farukhabad